रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML–2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 24 अप्रैल, 2008/4 वैशाख, 1930

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171004, 7 अप्रैल, 2008

संख्या वि0 स0–लैज–गवरनमैंट बिल/1–45/2008.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2008 को हिमाचल

प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित / –
(गोवर्धन सिंह)
सचिव ।

2008 का विधेयक संख्यांक 9.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में खण्ड (27) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(27–क) "पंचायत सहायक" से इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत के सचिव के कृत्यों का पालन करने हेतु, यथास्थिति, ग्राम पंचायत द्वारा धारा 135 के अधीन पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा धारा 136 के अधीन प्रतिनियुक्त कोई पदधारी अभिप्रेत है;"।

धारा 8 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 में—

(क) उप–धारा (1) में,—

(i) शब्द ''प्रधान'' जहां–जहां भी आता है, के स्थान पर ''प्रधान और उप–प्रधान'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;

(ii) प्रथम और द्वितीय परन्तुक में शब्द ''प्रधान'' जहां–जहां भी आता है, के स्थान पर ''प्रधान और उप–प्रधान'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ii) चतुर्थ परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

(ख) उप–धारा (3) में "एक–तिहाई से अन्यून" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर शब्द ''आधे'' रखा जाएगा;

(ग) उप–धारा (3–क) में "एक–तिहाई से अन्यून" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर शब्द ''आधे'' रखा जाएगा; और

(घ) उप–धारा (4) में "एक–तिहाई से अन्यून" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर शब्द ''आधे'' रखा जाएगा ।

धारा 78 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 78 में–

(क) उप–धारा (5) में ''के एक–तिहाई से अन्यून" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''की आधी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप–धारा (5–क) में "के एक–तिहाई से अन्यून" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''की आधी'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उप–धारा (6) में "एक–तिहाई से अन्यून" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर शब्द ''आधे'' रखा जाएगा ।

धारा 89 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 89 में,–

(क) उप–धारा (5) में "के एक–तिहाई से अन्यून" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''की आधी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप–धारा (5–क) में "एक–तिहाई से अन्यून" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर ''की आधी'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उप–धारा (6) में "एक–तिहाई से अन्यून" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर शब्द ''आधे'' रखा जाएगा ।

धारा 99 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 99 में,–

(क) उप–धारा (4) में "सचिव" शब्द जहां–जहां भी आता है, के स्थान पर "सचिव या पंचायत सहायक" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"परन्तु पंचायत सहायक ग्राम पंचायत निधि से संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कोई रकम तब तक नहीं निकालेगा जब तक कि निदेशक द्वारा उसे इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत न कर दिया गया हो:

परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट ग्राम पंचायत में, पंचायत सहायक ग्राम पंचायत निधि में से संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कोई रकम उसी दशा में ही निकाल सकेगा यदि उस ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव तैनात नहीं है।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 125 में,– धारा 125 का संशोधन।

(क) उप–धारा (2) में "एक–तिहाई से अन्यून" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर शब्द ''आधे'' रखा जाएगा; और

(ख) उप–धारा (3) में "एक–तिहाई से अन्यून" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर शब्द ''आधे'' रखा जाएगा ।

8. मूल अधिनियम की धारा 129 में,– धारा 129 का संशोधन।

(क) उप–धारा (1) में शब्द ''प्रधान'' के स्थान पर ''प्रधान या उप–प्रधान'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) उप–धारा (1–क) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''(1–क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारम्भ से पूर्व निर्वाचित ग्राम पंचायत का उप–प्रधान अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों द्वारा शासित होता रहेगा मानो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 प्रवृत्त ही न हुआ हो ।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम एक–तिहाई आरक्षण का उपबन्ध करता है। अब महिलाओं के लिए, पंचायतों में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में स्थानों की कुल संख्या के विद्यमान एक–तिहाई आरक्षण को बढ़ाकर पचास प्रतिशत करने का विनिश्चय किया गया है ताकि निचले स्तर के संस्थानों में उनकी भागीदारी में बढ़ौतरी की जा सके। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में नियुक्त पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत की निधि की संक्रिया के लिए सशक्त नहीं हैं, जिसके कारण पंचायतों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संदायों में देरी होती रही है। इस कठिनाई से निपटने के आशय से पंचायत की निधि की संक्रिया के लिए पंचायत सहायकों को प्रधान के साथ संयुक्त हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में भी सशक्त करने का विनिश्चय किया गया है। यह भी विनिश्चय किया गया है कि उप–प्रधान को भी ग्राम पंचायत के बजाए ग्राम सभा द्वारा अपने सदस्यों में से विहित रीति में सीधे निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः .....2008.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

———————

(जे0 एन0 बारोवालिया)
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमलाः

तारीख :....., 2008.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2008

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2008

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commence-ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), after clause (27), the following clause shall be inserted, namely :—

"(27-A) "Panchayat Sahayak" means a person appointed as Panchayat Sahayak by the Gram Panchayat under section 135 or an official deputed by the State Government under section 136, as the case may be, to perform the functions of Secretary of Gram Panchayat under this Act;".

Amendment of section 8.

3. In section 8 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the word "Pradhan" wherever it occurs, the words and sign "Pradhan and Up-Pradhan" shall be substituted;

(ii) in first and second provisos, for the word "Pradhan" wherever it occurs, the words and sign "Pradhan and Up-Pradhan" shall be substituted; and

(iii) forth proviso shall be omitted.

(b) in sub-section (3), for the words and sign "Not less than one-third", the words and sign "One-half" shall be substituted;

(c) in sub-section (3-A), for the words and sign "Not less than one-third", the words and sign "One-half" shall be substituted; and

(d) in sub-section (4), for the words and sign "not less than one-third", the words and sign "one-half" shall be substituted.

4. In section 78 of the principal Act,— Amendment of section 78.

(a) in sub-section (5), for the words and sign "Not less than one-third", the words and sign "One-half" shall be substituted;

(b) in sub-section (5-A), for the words and sign "Not less than one-third", the words and sign "One-half" shall be substituted; and

(c) in sub-section (6), for the words and sign "not less than one-third", the words and sign "one-half" shall be substituted.

5. In section 89 of the principal Act,— Amendment of section 89.

(a) in sub-section(5), for the words and sign "Not less than one-third", the words and sign "One-half" shall be substituted;

(b) in sub-section (5-A), for the words and sign "Not less than one-third", the words and sign "One-half" shall be substituted; and

(c) in sub-section (6), for the words and sign "not less than one-third", the words and sign "one-half" shall be substituted.

Amendment of section 99.

6. In section 99 of the principal Act,—

(a) in sub-section (4), for the word "Secretary" wherever it occurs, the words "Secretary or the Panchayat Sahayak" shall be substituted ; and

(b) after sub-section (4), the following provisos shall be inserted, namely :—

" Provided that the Panchayat Sahayak shall not withdraw the amount from the Gram Panchayat fund as joint signatory unless authorized by the Director for this purpose:

Provided further that in a particular Gram Panchayat, the Panchayat Sahayak shall withdraw the amount from the Gram Panchayat Fund as joint signatory only in case there is no Panchayat Secretary posted in that Gram Panchayat.".

Amendment of section 125.

7. In section 125 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), for the words and sign "Not less than one-third", the words and sign "One-half" shall be substituted; and

(b) in sub-section (3), for the words and sign "not less than one-third", the words and sign "one-half" shall be substituted.

Amendment of section 129.

8. In section 129 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the word "Pradhan", the words and sign "Pradhan or Up-Pradhan shall be substituted; and

(b) for sub-section (1-A), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1-A) The Up-Pradhan of a Gram Panchayat elected before the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2008 shall continue to be governed by the provisions of the Act and the rules made thereunder as if the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2008 has not come into force.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Panchyati Raj Act, 1994 provides for not less than one-third reservation to women in Panchayats. Now it has been decided to increase the reservation to women in Panchayats at every level from existing one-third to fifty percent of the total number of seats in the Panchayats with a view to increase their participation at the grass-root level institutions. In addition to this, the Panchayat Sahayaks appointed in the Gram Panchayats are not empowered to operate Panchayat fund due to which various type of payments to be made by the Panchayats are being delayed. Thus, in order to overcome this difficulty, it has also been decided to empower the Panchayat Sahayak to operate Panchayat fund as joint signatory with Pradhan. It has further been decided that the Up-Pradhan should also be elected by the Gram Sabha instead of Gram Panchayat, by direct election from amongst its members, in the prescribed manner. As such, it is proposed to amend the Act *ibid* suitably. This has necessitated the amendments in the Act *ibid.*

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

SHIMLA:

The , 2008.

FINANCIAL MEMORADNUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2008

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

(J. N. BAROWALIA)
Principal Secretary (Law).

SHIMLA:

The , 2008

HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA

No. V.S.-Legn.-Pri/1-21/2008 Dated, Shimla–171004, the 21st April, 2008

NOTIFICATION

The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 18th April, 2008 is hereby published for general information :–

"मैं, विष्णु सदाशिव कोकजे, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के द्वितीय अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान करता हूँ ।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।"

By Order :–

Goverdhan Singh,
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

संख्या:वि0स0-विधायन-प्रा0/ 1-21/2008 दिनांक शिमला-4 21-04-2008

अधिसूचना

राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 18 अप्रैल, 2008 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

" मैं, विष्णु सदाशिव कोकजे, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के द्वितीय अधिवेशन का तत्काल सत्रावसान करता हूँ ।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।"

आदेश द्वारा :-

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित